The Uttar Pradesh Sahkari Gram Vticas Banks (Amendment) Act, 2014

Act 13 of 2014

Keyword(s):
Gram Vikas Bank, Sahkari, Society

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम–संख्या–154

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014

आषाढ़ 27, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 974/79–वि–1–14–1(क)17-201:

लखनऊ, 18 जुलाई, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 17 जुलाई, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग) "ग्राम विकास बैंक" या "सहकारी ग्राम विकास बैंक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1965, के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो उत्तर प्रदेश ग्राम–विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत की गई हो, और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को, सामान्यतया कृषि और ग्रामीण विकास के लिये, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन के निर्माण भी हैं, अचल सम्पत्ति के बंधक या उसके प्रभार पर या चल सम्पत्ति की गिरवी पर या राज्य सरकार के बिना शर्त प्रत्याभूति पर ऋण देना हो और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सदस्यों के हित में या सदस्यों द्वारा चाहने पर कोई अन्य क्रियाकलाप करना हो।"

धारा 8 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) शीर्षक में, शब्द "ऋण-पत्रों" के स्थान पर शब्द "ऋण-पत्र के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से ली जाने वाली धनराशि" रख दिये जायेंगे।

(ख) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:–

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, बोर्ड धारा 9–क में निर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी से, धारा 6 में उपबंधित ऋण-पत्र जारी करने की रीति या उपाय से भिन्न किसी अन्य रीति या उपाय से, इस अधिनियम में ऋणपत्रों के लिये यथा उपबंधित नियमों और शर्तों और सीमाओं पर राज्य सरकार की बिना शर्त प्रत्याभूति के सापेक्ष, धन उधार ले सकता है।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड प्रदेश की प्राथमिकता सेक्टर की योजनाओं के लिये कृषकों को ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में उक्त बैंक केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर रहा है जो बैंकिंग व्यवसाय का एक बहुत छोटा अंश है। इस प्रकार उक्त बैंक न तो प्रदेश के कृषकों की समस्त ऋण आवश्यकतायें पूरी कर पा रहा है, न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य होकर अन्य वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर पा रहा है।

वर्तमान में यह बैंक प्रदेश के कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर रहा है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य सरकार की बिना शर्त गारण्टी के सापेक्ष डिबेन्चर निकाल करके पुनर्वित्तपूर्ति के रूप में धन प्रदान करता है। नाबार्ड ने ऋण के माध्यम से पुनर्वित्तपूर्ति के रूप में धन प्रदान करने का विनिश्चय किया है। राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के पक्ष में केवल गारण्टी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिये राज्य सरकार की गारण्टी के सापेक्ष अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार लिया जाना संभव है।

अतएव, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के कारबार को विविधता अनुमन्य करने और इसे राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या ऐसी किसी वित्तीय संस्था, जिसे न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाय, से धन उधार ले सकने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1964) को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 बी0 सिंह
प्रमुख सचिव।

No. 974(2)/LXXIX–V–1–14-1(ka)17-2013
Dated Lucknow, July 18, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, of the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 2014.

THE UTTAR PRADESH SAHKARI GRAM VIKAS BANKS (AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. Act No. 13 of 2014)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Banks Act, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank (Amendment) Act, 2014.

Amendment of section 2 of U.P Act no. 16 of 1964

2. In section 2 of Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Banks Act, 1964 hereinafter referred to as principle Act, *for* clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"*(c)* 'Gram Vikas Bank' or 'Sahkari Gram Vikas Bank' means a Co-operative Society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, admitted as a member of the Uttar Pradesh Gram Vikas Bank and having as its main object the advancement of loans to its members on the mortgage of or charge on, immovable property or on hypothecation of movable property or against unconditional guarantee of the State Government generally for agricultural and rural development including construction of dwelling houses in rural areas and undertake any other activities in the interest of, or desired by, its members with the prior approval of the State Government."

Amendment of section 8

3. In section 8 of the principle Act,—

(a) in the heading *for* the words "on debentures" the words "of the money to be borrowed by means of debentures or otherwise" shall be *substituted;*

(b) *after* sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted,* namely:—

"(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the board may borrow money from any of the institutions referred to in section 9-A, against the unconditional guarantee by the State Government in any other manner or means other than by issuance of debentures provided in section 6, on the same terms and conditions and limitation as provided for debentures in this Act."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. provides credit to the farmers for the priority sector schemes of the State. At present, the said Bank is providing long term credit only, which is a very small part of banking business. As such the said Bank is neither able to fulfill all credit requirements of the farmers of the State nor able to become economically viable to compete with other Commercial/Regional Rural Banks.

At present this Bank is providing long term credit to farmers of the State and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) provides money as refinance by way of floatation of debentures against unconditional Guarantee of State Government. The NABARD has decided to provide money as refinance by way of loan. The State Government is providing Guarantee only in favour of NABARD. Borrowing from other financial Institution is possible for the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank against the Guarantee of the State Government.

Therefore with a view to allow diversification of the business of the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. and enable it to borrow money from the State Government or the Reserve Bank of India or the National Bank for Agriculture and Rural Development or any such financial Institution as may be approved by the Trustee, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Act, 1964 (U.P. Act no. 16 of 1964).

The Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank (Amendment) Bill, 2014 is introduced accordingly.

By order,
S.B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 212 राजपत्र (हि०)–2014–(579)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 57 सा० विधा०–2014–(580)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।